

# प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

## औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/190445/LCK/LUCKNOW/8857/CFO  
दिनांक:03-03-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स H S N REALTECH AND N S DEVELOPERS OWNER INDIRA GAS AND PETROLEUM PVT LTD (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 4-05-A AND 4-06 SECTOR-4,GOMTI NAGAR EXTENSION,LUCKNOW तहसील - LUCKNOW प्लॉट एरिया 4706.08 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 26139.15 (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या 1 जिसमें

| ब्लॉक/टावर       | प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या | वेसमेन्ट की संख्या | ऊँचाई     |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------|
| COMMERCIAL BLOCK | 9                                 | 2                  | 28.50 mt. |

है। भवन का अधिभोग मेसर्स H S N REALTECH AND N S DEVELOPERS OWNER INDIRA GAS AND PETROLEUM PVT LTD द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Mercantile के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स H S N REALTECH AND N S DEVELOPERS OWNER INDIRA GAS AND PETROLEUM PVT LTD अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

**Note :** प्रस्तावित भवन में मानक के अनुसार स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम, फायर टावर/शाफ्ट व स्टेयरकेस के प्रेशराईजेशन के प्रावधान के सहित प्रस्तावित भवन में N.B.C.-2016 (Part-4) मानक के अनुसार वांछित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हुये अधिभोग से पूर्व पूर्णता (कम्प्लीशन) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

**Note :** प्रस्तावित भवन में मानक के अनुसार स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम, फायर टावर/शाफ्ट व स्टेयरकेस के प्रेशराईजेशन के प्रावधान के सहित प्रस्तावित भवन में N.B.C.-2016 (Part-4) मानक के अनुसार वांछित समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हुये अधिभोग से पूर्व पूर्णता (कम्प्लीशन) अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(ANKUSH MITTAL)

[C1A4F12653EE8617AC34BF4879D7820B631DA4C4]

09-03-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 09-03-2026  
स्थान : LUCKNOW